मीरराज / तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	20/10/20 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। तहसीलदार कानूं की ओर से जवाब प्राप्त नहीं पत्र लिखा जाकर पत्रावली दिनांक 23/11/20 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	23/11/20 पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी महोदय अन्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/1 .... 4/01/2021 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	5/1/21 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। तहसीलदार कानूं की रिपोर्ट प्राप्त हुई। रिपोर्ट पर बहस सुनी गयी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

Scanned with CamScanner

ालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामा जिला भरतपुर
व इजलाश श्री विनोद कुमार मीणा आर०ए०एस उपखण्ड अधिकारी कामां

मा नं०7/19

ाम नवीरा प्यारेलाल जाति जाटव निवासी ग्राम नौगांवा तहसील कामां जिला भरतपुर
बनाम
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कामां

अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट

निर्णय

दिनांकः 8.01.2021

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट के तहत पेश कि प्रार्थी आ0ख0नं0 495/0.12, 545/0.32, 565/0.43,1229/0.40, 1408/0.23 वाके नौगांवा तहसील कामां प्रार्थी के बाबा प्यारेलाल की कब्जे काश्त व खातेदारी को आराजी जिसके तीन पुत्र क्रमशः रामसिंह, विजयसिंह एवं मुन्नीलाल हैं । मुन्नीलाल के देहान्त ाल के जीवनकाल में हो गया । मुन्नीलाल के सुखवीर शिवराम, जीतराम धारा पुत्र थे । ाल का देहान्त होने के बाद विरासत का दाखिल खारिज नं0 889 पटवारी हल्का द्वारा सिंह, विजयसिंह, पिसरान प्यारेलाल, सुखवीर शिवराम, जीता व धारा नवीरान प्यारेलाल के से भरा जाकर दिनांक 13.01.1981 को फैसल किया गया जिसमें प्रार्थी का नाम जीतराम जाय जीता और अब हाल जमाबन्दी में 2067–2070 में प्रार्थी का नाम जीवा दर्ज किया रहा है । जो गलत है । जबकि परिवार राशनकार्ड आधार कार्ड राजकीय आदर्श उच्च मिक विद्यालय नौगांवा में प्रार्थी का नाम जीतराम दर्ज किया जा रहा है ।

अतः प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में जीवा नवीरा प्यारेलाल के स्थान पर जीतराम नवीरा रेलाल राजस्व रिकार्ड सही किया जाने के आदेश फरमाये जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया । गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल तहसीलदार कामां ने रिपोर्ट पेश की कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में ान्तकरण संख्या 889 विरासत में प्रार्थी का नाम जीता दर्ज है । सहवन से जमाबन्दीयों में वा दर्ज हो गया है जो कि गलत है । अतः प्रार्थी का नाम जीवन के स्थान पर जीता या तराम शुद्ध किया जाने की अनुशंषा की गई । अप्रार्थी कोई आपत्ति नहीं है ।

अधिकारी
(भरतपुर) राज

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा तहसीलदार कामां की रिपोर्ट का मनन किया । राजस्व रिकार्ड नामान्तकरण संख्या 889 विरासत में प्रार्थी का नाम जीता दर्ज है । सहवन से जमाबन्दीयों में जीवा दर्ज हो गया है जो कि गलत है । अतः प्रार्थी का नाम जीवा के स्थान पर जीता या जीतराम शुद्ध किया जाने की अनुशंषा की गई है । तहसीलदार कामां की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी जीवा नवीरा प्यारेलाल जाति जाटव निवासी नौगांवा के स्थान पर जीतराम नवीरा प्यारेलाल शुद्ध किया जाना उचित समझते है ।

आदेश

अतः आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 ज0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाता है । प्रार्थी जीवा नवीरा प्यारेलाल जाति जाटव वासी नौगांवा के स्थान पर जीतराम नवीरा प्यारेलाल शुद्ध किये जाने आदेश दिया जाता है करण नम्बर से कम किया जाकर बाद तकमील तामील दाखिल दफतर हो ।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को खुले न्यायालय पढकर सुनाया गया

(विनोद कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर)

उपखण्ड अधिकारी
कामां (भरतपुर) राज०

Scanned with CamScanner